न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2017

जितेन्द्र प्रकाश पुत्र गंगाबिशन जाति खत्री निवासी चक 2–ई छोटी श्रीगंगानगर हाल आबाद ए–27/42, सैकण्ड फलोर डीएलएफ–1 गुडगांव (हरियाणा)–122001

——अपीलार्थी

बनाम

1. अंकुर बेरी पुत्र सतीश कुमार जाति बेरी खत्री निवासी चक 2–ई छोटी श्रीगंगानगर हाल आबाद 972 ग्रीन रोड रोहतक (हरियाणा)।
2. रणजीत राय बेरी पुत्र गंगाबिशन जाति खत्री निवासी मकान नं. 2160, 1डी–2 बसन्त कुंज नई दिल्ली।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 23.01.2017

उपस्थिति:–

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक रेस्पों.
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88 का पेश कर चक 2 ई छोटी के मु.नं. 52, 61 की कुल 3.795है0 भूमि वादी व प्रतिवादी के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। उक्त वाद का निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 28.05.2013 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर दिनांक 15.01.2014 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय द्वारा

18/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 23.01.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खाता में है जिसमें वादी/अपीलांट का 1/4 हिस्सा है। अपीलांट के पास चक 2 ई छोटी के मु.नं. 52 के कि.नं. 3, 4, 7, 8 की 4 बीघा भूमि कब्जा में है। इसी के सम्बन्ध में वादी/अपीलांट ने दावा पेश किया था, किन्तु अधी. न्यायालय ने विभाजन में वादी/अपीलांट को कब्जा काश्त वाली भूमि न देकर अन्य भूमि दी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर वादी/अपीलांट को मु.नं. 52 के कि. नं. 3, 4, 7, 8 की कुल 3.15 बीघा भूमि दिये जाने के आदेश दिये गये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही है। हिस्से एवं किस्म अनुसार भूमि दी है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 88, 53 में प्राथमिक डिक्री आधारित फाईनल डिक्री जारी की गई। परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा इन पर की गई आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। दावे एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा तीन तनकियात कायम की जिसका तनकीयार निर्णय का कियात्मक हिस्सा है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये उसके अनुसार भूमि का मुल्य समान होने, भूमि के एकीकरण एवं कब्जा को मध्यनजर रखते हुए बनाये गये है, वकील वादी का एतराज की मेरे कब्जे शुद्धा भूमि सडक के पास है, जो मिलनी चाहिए लेकिन

18/6/18

तहसीलदार ने महंगी व सस्ती भूमि को मध्यनजर रखते हुए सडक के पास भूमि को सही मुल्यांकन के आधार पर बांटने में कोई भूल नही की है। तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव नियमानुसार उपयुक्त है। इस प्रकार राज.काश्त. (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 का पूर्णतया ध्यान रखते हुए व नियमों की पूर्ण पालना की जाकर तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी का राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत नियमानुसार विभाजन किया जाता है: वादी अपीलांट को चक 2 ई छोटी के मु.नं. 52 के कि.नं. 3 में 0.127है0, 7 में 0.063है0, 8 में 0.253है0, 14 0.253है0, 17 में 0.253है0 कुल 0.949है0 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को चक 2 ई छोटी के मु.नं. 52 के कि.नं. 3 में 0.126है0, 4 में 0.253है0, 6 में 0.253है0, 15 में 0.253है0, 16 में 0.253है0, 25 में 0.253है0, 7 में 0.190है0 की 1.581है0 एवं मु.नं. 61 के कि.नं. 4 की 0.253है0, 5 की 0.253है0, 6 की 0.253है0, 7 की 0.253है0, 15 0.253है0 की 1.265है0 कुल 2.846है0 भूमि विभाजन में दी गई है। इसी अनुसार तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी के हिस्सा की भूमि अंकन करने एवं लगान कायम करने के आदेश दिये हैं।

विवादित आराजी में हिस्सा निर्विवाद है जो दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी से प्रमाणित है। अपील मीमों की मुख्य आपत्ति अधी. न्यायालय ने उनकी आपत्ति का निस्तारण नहीं किया बाबत अधी. न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचित किया है। प्रा.पत्र को दोहराते हुए आर.आर.डी. 2011 पेज 698 की नजीर पेश करते हुए कथन किया कि तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना था तथा पक्षकारों को सूचित करना आवश्यक था। पक्षकारान की मौजूदगी में ही प्रस्ताव तैयार किये जाने थे जो नहीं किये गये हैं। अतः पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर मंगवाए जावें। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा काश्त तथा भूमि के अच्छी मंदी का पूर्ण ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर भिजवाये

19/6/18

गये हैं। अतः तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावानुसार विभाजन किया जावे। विवेचन में आपत्ति का specific निस्तारण स्वीकार या अस्वीकार नहीं हुआ। परन्तु अधी. न्यायालय का निष्कर्ष कि तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार ही विभाजन किया जाये का निहितार्थ आपत्ति खारिज होना है। अतः अपील में सार बिन्दू निहित नहीं होने से तथा अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
(भीलवाड़ा-नागौर)